BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की राष्ट्र निर्माण में भूमिका

डॉ. श्वेता मोर
सहायक प्राध्यापक
शा.क.ने.कन्या महाविद्यालय बालाघाट (म.प्र)

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान केंद्रीय सरकार की विश्व स्तर पर भारतीय ज्ञान, विज्ञान और कला–संस्कृति को पहुंचाने की एक महत्वाकांक्षी नीति है। यह शिक्षा नीति, क्षमता में वृद्धि, शिक्षा तक सबकी पहुंच, गुणवत्ता, निष्पक्षता और जवाबदेही जैसे स्तंभों पर तैयार की गई है। जो केवल एक नीति दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है जिस का उद्देश्य देश को श्रेष्ठ वैज्ञानिक, विधिवेत्ता, व्यापारी, टैक्नीशियन, शिक्षा–शास्त्री, समाज–शास्त्री और अर्थ–शास्त्री, देश के सुव्यवस्थित संचालन के लिए निष्ठावान लिपिकध्अधिकारी एवं ऐसे राष्ट्र–प्रेमी राजनीतिज्ञ तैयार करना है, जो परिवार, वंश, दल, धर्म तथा सम्प्रदाय की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ताकि ये सभी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में शिक्षा नीति के विकास का निरूपण करने के साथ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओ और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, बचपन से व्यक्ति जो पढ़ता है, देखता है, उसी से उसकी विचारधारा का निर्माण होता है । 1947 में देश की आजादी के बाद से, भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में निरक्षरता की समस्याओं को दूर करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम प्रायोजित किए। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक समान शिक्षा प्रणाली के साथ पूरे देश में शिक्षा पर केंद्र सरकार के मजबूत नियंत्रण की परिकल्पना की थी। केंद्र सरकार ने भारत की शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के प्रस्तावों को विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–1953), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कोठारी आयोग (1964–66) की स्थापना की। व्यक्तित्व बन जाता है। वर्तमान परिदृ श्य में बेहतर तरीके से जीना ही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। ज्ञान की सार्थकता तभी है, जब वो हमारे जीवन में उतरकर उसे समृद्ध बनाए। कोठारी आयोग (1964–1966) की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसमे

बिहार शोध समागम

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

राष्ट्रीय एकता और अधिक से अधिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास पर बल दिया गया ।, इस नीति में भारत के संविधान द्वारा निर्धारित 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण और योग्यता को पूरा करने का आह्वान किया गया । 1986 में, राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा पर एक नई राष्ट्रीय नीति पेश की। नई नीति ने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के लिए असमानताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसरों को समान करने पर विशेष जोर देने का आह्वान किया। 1986 की शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को 1992 में पी वी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। 2005 में, पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आधारित एक नई नीति अपनाई । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 के तहत एक्शन प्रोग्राम (पीओए) 1992 में देश में पेशेवर और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की परिकल्पना की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 – केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को लागु किया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल थी। यह शिक्षा नीति, क्षमता में वृद्धि, शिक्षा तक सबकी पहुंच, गुणवत्ता, निष्पक्षता और जवाबदेही जैसे स्तंभों पर तैयार की गई है। इस नीति को 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को बदलने के लिए मंजूरी दी गई थी और इसके तहत 'मानव संसाधन और विकास मंत्रालय' का नाम बदलकर अब 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया। नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ पूर्व–विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण करना है। पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब 5 +3 +3 +4 वाला पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जिसमे शिक्षा में रटने की बजाए कॉन्सेप्ट समझने पर जोर दिया जाएगा साथ ही सिर्फ ज्ञान ही नहीं उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी। कुल मिलाकर सारा ध्यान छात्रों के सर्वांगीण विकास पर होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु

स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान – नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

- पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज (Foundational Stage) – 3 साल का प्री–प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2
- तीन वर्ष का प्रीपेट्रेरी स्टेज (Prepatratory Stage)
- तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण – ग्रेड 6, 7, 8 और
- 4 वर्ष का उच्च (या माध्यमिक) चरण – ग्रेड 9, 10, 11, 12

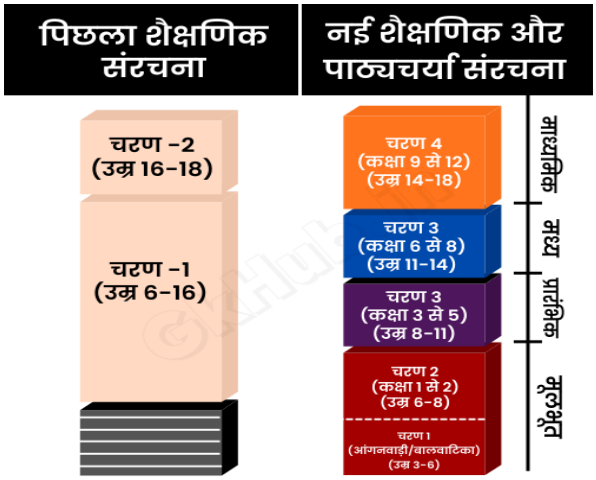

https://rb.gy/naq4n

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020_के तहत HHRO द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा–3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।

भाषायी विविधता का संरक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

शारीरिक शिक्षा

विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल–कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training& NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा जिसके लिये कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी।

छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा–10 और कक्षा–12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence& AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers& NPST) का विकास किया जाएगा, शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय–समय पर किये गए कार्य–प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' (National Curriculum Framework for Teacher Education) का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4–वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान

इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा।

डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान

एक स्वायत्त निकाय के रूप में ''राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच'' (National Educational Technol Foruem) का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान–प्रदान किया जा सकेगा। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।

पारंपरिक ज्ञान–संबंधी प्रावधान

भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ, जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।

- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, ताकि अलग–अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M-Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।
- आकांक्षी जिले (Aspirational districts) जैसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें 'विशेष शैक्षिक क्षेत्र' (Special Educational Zones) के रूप में नामित किया जाएगा।
- देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक 'जेंडर इंक्लूजन फंड' (Gender Inclusion Fund) की स्थापना करेगा।

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

- स्नातक पाठ्यक्रम में अनेक प्रवेश और निर्गत व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण–पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)। जिसे नीचे दिए गए रेखाचित्र से आसानी से समझा जा सकता है

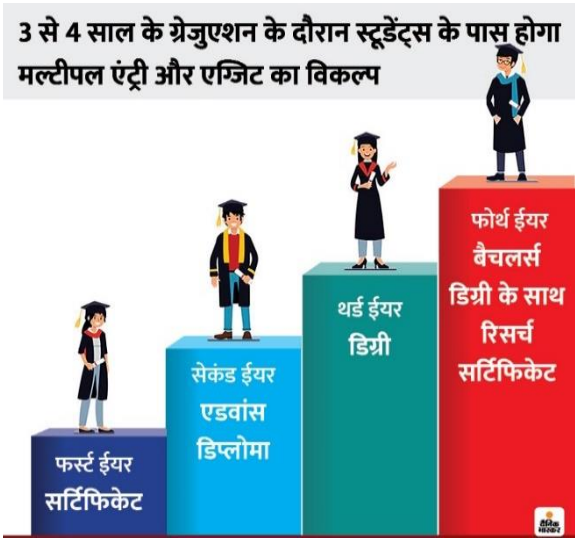

https://shorturl.at/kAG3

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (Higher Education Commision of India & HECI) की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय (Single Umbrella Body) के रूप में कार्य करेगा। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय–

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatroy Council –NHERC) : यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नियामक का कार्य करेगा।

- सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council – GEC) : यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा।
- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council & NAC) : यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व–प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।
- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council & HGFC) : यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिये वित्तपोषण का कार्य करेगा।

गौरतलब है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है। देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Reserach Universities & MERU) की स्थापना की जाएगी।

वित्तीय सहायता

अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों या अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

राष्ट्र निर्माण मे शिक्षा की भूमिका – राष्ट्र निर्माण एक देश के सभी नागरिकों को सामाजिक एकता, राजनीतिक स्थिरता और व्यापक और लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक समृद्धि के निर्माण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। आज का विद्यार्थी कल राष्ट्र की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, तकनीकी आदि पहलुओं का संचालक होगा। अत: विद्यार्थी का अध्ययन और चिन्तन–मनन में निष्ठापूर्वक संलग्न रहना ही राष्ट्र–निर्माण की प्रमुख भूमिका होगी। इन्हीं में से देश को श्रेष्ठ वैज्ञानिक मिलेंगे, विधिवेत्ता मिलेंगे, व्यापारी और टैक्नीशियन मिलेंगे, शिक्षा–शास्त्री, समाज–शास्त्री और अर्थ–शास्त्री मिलेंगे। देश के सुव्यवस्थित संचालन के लिए निष्ठावान लिपिक और अधिकारी मिलेंगे। राष्ट्र–प्रेमी राजनीतिज्ञ मिलेंगे, जो परिवार, वंश, दल, धर्म तथा सम्प्रदाय की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे इसलिए राष्ट्र के सतत विकास के लिए पर्याप्त रूप से योगदान करने में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योकि शिक्षा के द्वारा ही उपर्युक्त वर्णित नागरिकों को तैयार किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सम्बन्ध में स्वयं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है–''शिक्षा नीति आने वाले

बिहार शोध समागम

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

समय में एक ऐसा मानव संसाधन तैयार करेगी, जो राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। जब प्राकृतिक संसाधन सीमित हों और वे सिकुड़ते भी नजर आएं, तो मानव संसाधन में निवेश करना चाहिए। शिक्षा में निवेश एक ऐसा प्रयोग है, जिसका लाभ हमें पीढ़ी–दर– पीढ़ी मिलता रहता है। इसी सोच को सामने रखकर हमने छह प्रतिशत जीडीपी का प्रावधान रखा है, ताकि उत्तम और गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा सुनिश्चित हो सके।" इस तरह आने वाले वर्षो में हमारे सम्मुख आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रख कर तैयार की गई यह शिक्षा नीति राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसे निम्न बिन्दुओ में समझा जा सकता है –

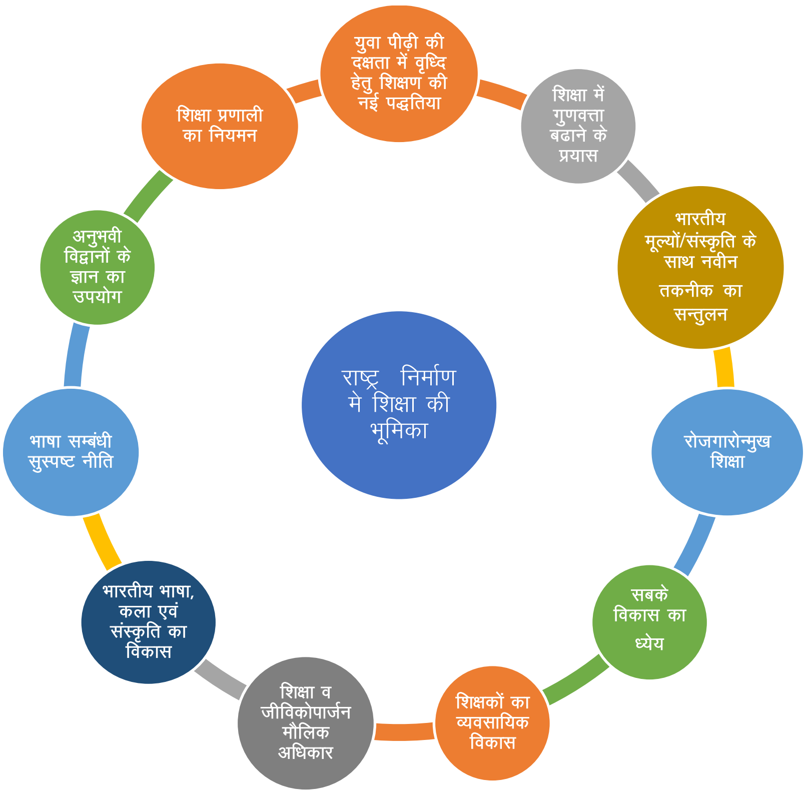

युवा पीढ़ी की दक्षता में वृध्दि हेतु शिक्षण की नई पद्धतियाँ :– नए दौर में ई लर्निंग, वर्चुअल शिक्षण एवं ऑन लाइन और डिजिटल शिक्षा को बढावा देने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं व इन पद्धतियों से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिए उचित प्रशिक्षण एवं प्रयोगशालाओं तथा मूलभूत संरचनाएं तैयार किए जाने के लिये भी प्रावधान किए गए हैं।

शिक्षा में गुणवत्ता बढाने के प्रयास :– शिक्षा में गुणवत्ता को नई शिक्षा नीति में प्रमुखता दी है । शिक्षा में गुणवत्ता के प्रश्न पर काफी चर्चा परिचर्चा होती रही है परन्तु इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम

बिहार शोध समागम
BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

नही उठाए गए। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में सुधार करते हुए न केवल 360 डिग्री मूल्यांकन, बल्कि शिक्षकों के ज्ञान और योग्यता की परख व उसमें सुधार जैसे बिंदुओं को भी शामिल किया गया है ।

भारतीय मूल्यों/संस्कृति के साथ नवीन तकनीक का सन्तुलन :– नए ज्ञान, विज्ञान, सूचना प्रोद्यौगिकी व नवोन्मेषी तकनीकी के साथ–साथ नई शिक्षा नीति के निर्माण में हमारे प्राचीन ज्ञान और विज्ञान तथा दर्शन को सहेजने व उस पर गहन अध्ययन एवं शोध को भी महत्व दिया गया है। इसलिये चिंतन के धरातल पर भी नई शिक्षा नीति सर्वथा नई है। इसमें प्राचीन और नवीन का सन्तुलन बनाया गया है। अपनी जडों से जुडे रहकर ज्ञान के शिखर पर पहुंचने का यह प्रभावी मंत्र है।

शिक्षण एवं मूल्यांकन प्रणाली में एकरूपता :– सभी स्तरों पर शिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली में एकरुपता व बहुस्तरीय मूल्यांकन (360 डिग्री मूल्यांकन) इस शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण विशेषता है।

रोजगारोन्मुख शिक्षा :– नई शिक्षा नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह बेरोजगारों की फौज तैयार नही करेगी बल्कि हर युवा को इतना सक्षम बनाएगी कि वह नौकरी के लिये भटकने के बजाए स्वयं का कारोबार करने में सक्षम होंगे। राष्ट्र हित में युवा शक्ति का समुचित उपयोग ही इस शिक्षा नीति का अंतिम लक्ष्य है।

सबके विकास का ध्येय :– उपेक्षित समाज के वंचित व बच्चों के शैक्षणिक विकास के विभिन्न पहलुओं को भी इस शिक्षा नीति में शामिल किया गया है साथ ही दिवांगजनों के विकास हेतु पर्याप्त प्रावधान है।

शिक्षकों का व्यवसायिक विकास :– नई शिक्षा नीति 2020 के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एव चिर प्रतीक्षित सुधारों में शिक्षकों के व्यवसायिक विकास व शैक्षिक प्रणाली में नवाचार और चिंतन के नए आयामों व विचार विविधता को प्रोत्साहित करने तथा भारतीयता से जुड़े रह कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

शिक्षा व जीविकोपार्जन मौलिक अधिकार :– नई शिक्षा नीति के पैरा 21 में बुनियादी साक्षरता, शिक्षा व जीविकोपार्जन, प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार माना गया है। अतः प्रौढ़ शिक्षा व जीवन पर्यन्त शिक्षण के लिये नवाचारी उपायों का प्रावधान भी किया गया है ताकि शतप्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त हो सके।

भारतीय भाषा, कला एवं संस्कृति का विकास :– भारतीय भाषा, कला और संस्कृति के संवर्द्धन के लिये भी इस नीति में व्यवस्था की गई है। ''चार वर्षीय बहुविषयक बी.एड. डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे

देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। '' (पैरा 22-15) अन्य छोटी से छोटी उपभाषाओं/बोलियों के संरक्षण एवं विकास हेतु भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं।

भाषा सम्बंधी सुस्पष्ट नीति :– नई शिक्षा नीति में पैरा 4-11 से 4-22 तक भाषा के मुद्दे को बहुत ही संजीदगी से प्रस्तुत किया गया है। यह नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि है ग्रेड 5 तक (अथवा इसे ग्रेड 8 तक भी बढाया जा सकता है।) के लिये भाषा सम्बंधी सुस्पष्ट नीति अपनाई गई है। यही वह अवस्था होती है। जब बच्चों में ग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है। इस दौरान शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अर्थात ''घर की भाषा'' या स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में निर्धारित किया है इसके दूरगामी परिणाम होगें व हमारी राष्ट्रीय भावना भी मजबूत होगी। आज अंग्रेजी सीखने में जो वक्त लग रहा है वह वक्त ज्ञान के विस्तार में लगेगा। अपनी भाषा में ग्राहयता कई गुना बढ़ जाती है तथा विषय को समझने में भी सुविधा होती है। अतः आरंभिक दौर में सरकारी व निजी विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बदलने से बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकलेगें। राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये त्रिभाषा सूत्र को बहुत लचीले रुप में रखा जाएगा। यह त्रिभाषी विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और विद्यार्थियों के अपने होगें । अतः भाषा विवाद की सम्भावना नगण्य है। साथ ही यह पुनः स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नही जायेगी।

अनुभवी विद्वानों के ज्ञान का उपयोग :– हमारे देश में दीर्घ अनुभव व ज्ञान के धनी बुजुर्ग उपेक्षित से रहते हैं। लेकिन अब नई शिक्षा नीति उनके लिए भी मेंटरिंग राष्ट्रीय मिशन के रुप में यह शिक्षा नीति एक वरदान सिद्ध होगी। पैरा 15-11 में वर्णित व्यवस्था इस प्रकार है– ''मेंटरिंग के लिये एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जायेगा जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ/सेवा निवृत्त संकाय सदस्यों को जोड़ा जायेगा, इनमें वे संकाय सदस्य भी शामिल होंगे जिनमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता है और जो विश्वविद्यालय कालेज शिक्षकों लघु और दीर्घ कालिक परामर्श/व्यवसायिक सहायता प्रदान करने के लिये तैयार होंगे।''इस प्रकार नई शिक्षा नीति में पूर्ण स्पष्टता है व नीति के कार्यान्वयन के संकेत भी स्पष्टता से दिए गए हैं।

शिक्षा प्रणाली का नियमन :– आरंभिक साक्षरता से लेकर व्यसायिक शिक्षा तक के नियमन सम्बंधी पहलुओं पर भी नीति निर्माताओं की स्पष्ट दृष्टि रही है। उच्चतर शिक्षा की खामियों को दूर करने के उद्देश्य से नियामक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। अतः नियमन में एकीकरण व केन्द्रीयकरण के सिद्धान्तों को अपनाया गया है।

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

निष्कर्ष – नई शिक्षा नीति के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शिक्षा नीति समय की माँग को पूरा करने व विश्व स्तर पर भारतीय ज्ञान, विज्ञान और कला–संस्कृति को पहुंचाने की एक महत्वाकांक्षी नीति है । यह नीति रोजगार सृजन व नए विषयों तथा नए ज्ञान के क्षेत्रों में शिक्षा के द्वार खोलेगी जिससे भारत शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्व में अग्रणी हो जाएगा । यह बात भी सत्य है कि यह आधुनिक युग के अनुरुप उत्कृष्ट शिक्षा नीति है परन्तु इसका कार्यान्वयन कठिन होगा क्योंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। अतः राज्य सरकार अपनी सोच और अपनी राजनैतिक विचारधारा के अनुरुप इसमें परिवर्तन करना चाहेंगी। यदि इस नीति में परिवर्तन की थोड़ी सी भी अनुमति दी गई तो यह नीति अपने मूल स्वरुप और मूल उद्देश्य से हट जाएगी । और यदि इसका पुरे देश में सफल क्रियान्वयन होता है तो शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री–डी मशीन, डेटा–विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी । जहाँ तक राष्ट्र निर्माण का प्रश्न है । इस शिक्षा नीति के निर्माताओं ने आधारभूत सिद्धान्त को इस प्रकार व्यक्त किया हैरू–''शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इन्सानों का विकास करना है– जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो जिनमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित –समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें।''उक्त सिद्धान्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि नई शिक्षा नीति एक गतिशील, विकासोन्मुखी राष्ट्र निर्माण हेतु महत्वपूर्ण प्रयास है।

बिहार शोध समागम

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 4, October-December 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

संदर्भ ग्रंथ सूची

- Kumar Rusen & Singh Rana : "INDIA'S NATIONAL EDUCATION POLICY 2020 : AN OVERVIEW" paperback publication September 2020
- Mandal Kesav Chand : "National Education Policy 2020 : The Key to Development in India" , Notion Press 2 march 2021
- नए भारत की नीव : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिंह अविनाश कुमार , प्रभात प्रकाशन
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुरोहित जगदीश नारायण https://epustakalay.com/book/41973-nai-rashtriya-shiksha-neeti-by-jagdiish-narayan-purohit/
- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf , India Ministry of Education.
- https://www.hindiprocess.com/nayi-shiksha-niti-pdf/ नई शिक्षा नीति
- https://www.yojanaschemehindi.com/shiksha-niti-badlav-new-rules-education-system/ नई शिक्षा नीति
- पाण्डेय सुधांशु कुमार : शिक्षा नीति 2020 (कुछ संस्तुतियां और विमर्श), पेपर बेक पब्लिकेशन मार्च 2021
- "राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा संशोधित)" (पीडीएफ)– मानव संसाधन विकास मंत्रालय मूल पीडीएफ से 26 नवंबर 2010 को संग्रहीत।
- "राज्य शिक्षा बोर्डों को राष्ट्रीय निकाय द्वारा विनियमित किया जाएगा: मसौदा एनईपी" । टाइम्स ऑफ इंडिया, 21 नवंबर 2019
- कोठारी अतुल : "राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारतीयता का पुनरुत्थान" , प्रभात प्रकाशन 2021